(74)

कार्यालय कलेक्टर, (भू–अभिलेख शाखा) जिला कोण्डागॉव(छ0ग0)

–:: अनापत्ति प्रमाण पत्र ::–

क्रमांक 355 / कले0 / भू0अभि0शा0 / रा0नि0 / 2021 कोण्डागॉव, दिनांक 28 / 07 / 2021

प्रति,

उप मण्डल अभियंता

भारत संचार निगम लिमिटेड

रायपुर छत्तीसगढ़

विषयः– **उप मंडल अभियंता भारत संचार निगम लिमिटेड रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा जिला कोण्डागांव अन्तर्गत वन मंडल दक्षिण कोण्डागांव के अन्तर्गत मार्गो के मौजूदा राईट–ऑफ –वे में ऑटिकल फाईबर केबल बिछाने हेतु वन भूमि के व्यपवर्तन बाबत् रैखीय (Linear) प्रस्ताव में प्रभावित कुल वन भूमि रकबा 2.181 हे. का वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण (FRA) संबंधी प्रतिवेदन एवं 0.148 हे. राजस्व वनभूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने विषयक ।**

संदर्भ :– भारत संचार निगम लिमिटेड रायपुर का पत्र क्र.DE/TP/RP/DGPS/Survey/2020-21 दिनांक 17 / 08 / 2020 ।

–000–

उपरोक्त विषयांतर्गत वन संरक्षण अधिनियम के तहत् राजस्व वन भूमि का गैर वानिकी कार्य के लिये व्यपवर्तन अंतर्गत कुल राजस्व वनभूमि 0.148 हे0 में से जिला कोण्डागांव के ग्राम चिखलपुटी ख0नं0 1 / 24,1 / 20 कुल रकबा 0.018 हे0, ग्राम दहिकोंगा ख0नं0 2 / 1क, 2 / 1क कुल रकबा 0.007 हे0, ग्राम दूधगांव ख0नं0 6 / 1,9,12,14 व 3 / 1 कुल रकबा 0.039 हे0 एवं ग्राम घोड़ागांव ख0नं0 271, 277, 325 / 1 कुल रकबा 0.025 हे0 के कुल रकबा 0.089 हे0 राजस्व वन भूमि को उप मंडल अभियंता भारत संचार निगम लिमिटेड रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा ऑटिकल फाईबर केबल बिछाने के लिए राजस्व विभाग को कोई आपत्ति नही है।

कलेक्टर

जिला कोण्डागांव (छ.ग.)

75

कार्यालय कलेक्टर (भू–अभिलेख शाखा), जिला–कोण्डागांव (छ.ग.)

–:: अनापत्ति प्रमाण पत्र ::–

क्रमांक/265/कले./भू.अ./रा.नि./2023 कोण्डागांव , दिनांक 31/03/2023

प्रति,

उप मंडल अभियंता
भारतसंचार निगम लिमिटेड
रायपुर छत्तीसगढ़।

विषय :– **उप मंडल अभियंता, भारतसंचार निगम लिमिटेड रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा जिला कोण्डागांव अन्तर्गत वनमंडल दक्षिण कोण्डागांव वनमण्ड के अन्तर्गत मार्गो के मौजूदा राईट–ऑफ–वे में आप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत गैरवानिक प्रयोजन हेतु वनभूमि के व्यपवर्तन बाबत् रेखीय (Linear) प्रस्ताव मे प्रभावित राजस्व वनभूमि रकबा 0.007 हे. का वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण (FRA) संबंधी प्रतिवेदन एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने विषयक ।**

संदर्भ :– भारत संचार निगम लिमिटेड रायपुर का पत्र क्र./DE/TP/RP/DGPS/SURVEY/2020-21 दिनांक 17.08.2020।

–00–

उंपरोक्त विषयांतर्गत वन संरक्षण अधिनियम के तहत् वन भूमि का गैर वानिकी कार्य के लिये व्यपवर्तन अंतर्गत ग्राम कुम्हारपारा तहसील कोण्डागांव जिला कोण्डागांव में स्थित राजस्व वन भूमि **खसरा नं. 325/1 में से 0.007 हे.** में उप मंडल अभियंता, भारतसंचार निगम लिमिटेड रायपुर द्वारा आप्टिकल फायबर केबल बिछाया जाना प्रस्तावित है। चूंकि प्रस्तावित भूमि राजस्व वन भूमि के मद पर दर्ज है जिस पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 प्रभावशील है। अतः निम्न शर्तो पर उक्त आवेदित भूमि पर आप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत व्यपवर्तित होने वाली राजस्व वन भूमि का अनापत्ति पत्र प्रदाय किया जाता है :–

1. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र उपरोक्त वनभूमि/राजस्व वन भूमि पर उल्लेखित प्रयोजन के बदले अन्य प्रयोजनार्थ उपयोग संदर्भित फर्म/संस्था द्वारा भविष्य में किया जाता है, तो यह अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त मानी जावेगी ।
2. आप्टिकल फायबर केबल बिछाने से किसी की परिसंपति की क्षति होती है, तो आवेदित फर्म/संस्था उसे पूर्व की भांति स्थापित करेंगे।
3. इस अनापत्ति के द्वारा विभाग के स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं किया जा रहा है।
4. आप्टिकल फायबर केबल बिछाने में प्रभावित होने वाले वृक्षों को काटे जाने की अनुमति नहीं होगी।

76

5. आप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु किये जाने वाले कार्य के लिए जिन विभागों की संपत्ति अथवा जमीन से लगा हुआ कोई स्ट्रक्चर प्रभावित होता है, तो संबंधित विभाग को जानकारी देनी होगी तथा उक्त विभाग के प्रतिनिधि के समक्ष कार्यवाही करनी होगी।

6. यह आदेश शासन द्वारा निर्धारित नियमों/निर्देशों एवं आदेशों के अधीन होगा । निर्धारित नियमों/निर्देशों/ आदेशों का पालन नहीं करने पर यह आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।

उपरोक्त विषयांतर्गत भूमि का व्यपवर्तन वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानों के तहत् गैर वानिकी प्रयोजन हेतु प्रत्यावर्तन की कार्यवाही विधिवत की जाती है, तो उल्लेखित शर्तों के अधीन इस विभाग को विषयांतर्गत प्रयोजन हेतु उपयोग पर किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है।

कलेक्टर
जिला—कोण्डागांव (छ.ग.)